भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:5729
27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर की दवा की कीमतों में कमी

†5729. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में चुनिंदा कैंसर दवाओं की कीमतों में कमी से राज्यों में रोगियों के लिए वहनीय क्षमता में काफी सुधार हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केरल के सरकारी अस्पतालों ने आवश्यक कैंसर विज्ञान संबंधी दवाओं की पहुंच में वृद्धि होने की सूचना दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा जीवन रक्षक दवाओं की सतत वहनीयता और विशिष्ट उपचार तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) चयनित कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में कमी से रोगियों द्वारा दवाओं के लिए संवर्धित वहनीयता हो गई है, व्यापार मार्जिन युक्तिकरण और एनपीपीए द्वारा मूल्य निर्धारण जैसे उपायों से कई दवाओं की कीमतों में कमी आई है, जिससे जेब से होने वाला खर्च कम हुआ है और राज्यों में आवश्यक कैंसर दवाओं तक पहुंच बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, कुछ महंगी कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क और जीएसटी में कमी से उनकी बाजार कीमतों में भी कमी आई है, जिससे अधिक रोगी उपचार प्राप्त कर रहें है, हालांकि, इस प्रकार की उन्नति का राज्य-वार मात्रात्मक रिकॉर्ड केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ख) केरल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि केरल के जन स्वास्थ्य अस्पतालों में कैंसर की दवाओं की खरीद केरल चिकित्सा सेवा सहकारी समिति के माध्यम से की जाती है और महंगी दवाओं का वितरण करुण्य आउटलेट्स के माध्यम से किया जाता है जो केरल चिकित्सा सेवा सहकारी समिति की शाखाएँ हैं। करुण्य के आउटलेट महंगी दवाओं को शून्य लाभ योजना पर बेच रहे हैं। इसलिए रोगी महंगी दवाओं को काफी कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय नि:शुल्क औषधि पहल और नि:शुल्क निदान सेवाओं के तहत जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों पर आवश्यक दवाओं और निदान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, जिससे जेब से होने वाले खर्च में कमी आती है। कैंसर रोधी दवाओं को राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत जिला और उप-मंडल अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया है।

कैंसर की दवाओं को आम जनता के लिए किफायती और सुलभ बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एनपीपीए ने एनएलईएम के तहत 131 सूचीबद्ध कैंसर रोधी फार्मूलेशनों की अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित की है। इनमें 111 ऐसे फार्मूलेशन शामिल हैं जिनकी कीमतें एनएलईएम, 2015 के तहत निर्धारित की गई थीं। एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत इन्हें पुनः निर्धारित करने से एनएलईएम, 2015 के तहत निर्धारित अधिकतम कीमतों में लगभग 21% की कमी आई है, जिससे रोगियों को प्रतिवर्ष लगभग ₹294.34 करोड़ की बचत हो रही है।

(ii) एनपीपीए ने नई दवाओं के खुदरा मूल्य निर्धारण से संबंधित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत आवेदक विनिर्माण और विपणन कंपनियों के 31 कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं।

(iii) इसके अतिरिक्त, एनपीपीए ने जनहित में 42 गैर-सूचीबद्ध कैंसर रोधी दवाओं पर 30% का व्यापार मार्जिन निर्धारित किया है, जिसके परिणामस्वरूप इन दवाओं के 500 ब्रांडों के एमआरपी में औसतन लगभग 50% की कमी आई है। साथ ही, सरकार नियमित रूप से कैंसर रोधी दवाओं पर शुल्क का युक्तिकरण कर रही है ताकि उनकी कीमतों को कम करने में मदद मिल सके।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के अंतर्गत कैंसर उपचार सहित प्रमुख एनसीडी का उपचार उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में मध्यम और विशिष्ट स्तर की परिचर्या के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) और उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) फार्मेसियां किफायती कैंसर दवाओं, स्टेंट और प्रत्यारोपण तक पहुंच में सुधार करती हैं, जिससे जेब से होने वाले खर्च में कमी आती है और दीर्घकालिक उपचार में सहायता मिलती है।
